रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 1992/अग्रहायण 3, 1914
No. 228] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 1992/AGRAHAYANA 3, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1992

सं. फा. 10(1)/88-वि.स.स्की.का.सं.—केन्द्रीय सरकार, तारीख 11 नवम्बर, 1991 के समसंख्यक सरकारी संकल्प के क्रम में यह संकल्प करती है कि विधि कार्य विभाग की विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति की अवधि, 14 नवम्बर, 1992 से एक वर्ष की अवधि

के लिए या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, बढ़ा दी जाए।

2. केन्द्रीय सरकार यह भी संकल्प करती है कि विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति 24 मई, 1989 के समसंख्यक संकल्प के साथ पठित, तारीख 13 नवम्बर, 1990 के इसके समसंख्यक संकल्प द्वारा भारत सरकार द्वारा पुनर्गठित रूप में, पुनरीक्षण करके 14-11-1992 से निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी:—

1. भारत के मुख्य न्याययमूर्ति, पूर्णकालिक सलाहकारी हैसियत सहित विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के प्रमुख संरक्षक।	
2. न्यायमूर्ति श्री ए. एम. अहमदी, न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय	कार्यपालक अध्यक्ष
3. न्यायमूर्ति श्री एम. जगन्नाथ राव, मुख्य न्यायमूर्ति, केरल उच्च न्यायालय	सदस्य
4. न्यायमूर्ति श्री वी. ए. मोहता, न्यायाधीश मुंबई उच्च न्यायालय	सदस्य
5. न्यायमूर्ति श्रीमती सुनन्दा भंडारे, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय	सदस्य
6. सचिव, विधि कार्य विभाग	सदस्य
7. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	सदस्य
8. विशेष सचिव, विधि कार्य विभाग।	सदस्य सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

चि. प्रभाकर राव, विशेष सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

RESOLUTION

New Delhi, the 23rd November, 1992

No.F.10(1)/88—CILAS:—The Central Government, in continuation of the Government Resolution of even number dated 11th November, 1991, hereby resolves that the term of the Committee for Implementing Legal Aid Schemes (CILAS), Department of Legal Affairs, shall be extended for a period of one year on and from the 14th day of November, 1992 or till the National Legal Services Authority is constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987), whichever is earlier.

2. The Central Government also resolves that the composition of the Committee for Implementing Legal Aid Schemes, as reconstituted by the Government of India vide its Resolution of even number dated 13th November, 1990 read with Resolution of even number dated 24th May, 1989, shall be revised with the following members with effect from 14-11-1992:—

1. Chief Justice of India as Patron-in-Chief of the Committee for Implementing Legal Aid Schemes with full advisory capacity.	
2. Shri Justice A.M. Ahmadi, Judge, Supreme Court of India.	Executive Chairman
3. Shri Justice M. Jagannadha Rao, Chief Justice of the Kerala High Court.	Member
4. Shri Justice V.A. Mohta Judge of the Bombay High Court.	Member
5. Smt. Justice Sunanda Bhandare, Judge of the Delhi High Court.	Member
6. Secretary, Department of Legal Affairs.	Member

7. Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance.	Member
8. Special Secretary, Department of Legal Affairs.	Member-Secretary

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all Ministries and Departments of the Government of India, State Governments and Union Territory Administration.

Ordered also that the Resolution be published in Gazette of India for general information.

CH. PRABHAKARA RAO, Special Secretary

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992